

सेमेस्टर - तृतीय

विषय : कम्पनी विधि

अध्याय - 1

आलोक कुमार राय (प्रवक्ता)
लोक बन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय

कम्पनी की अवधारणा :-

कम्पनी शब्द दो लैटिन शब्द
COM और PANIS से मिलकर बना है जिसका
अर्थ क्रमशः 'साथ-साथ' और 'रोटी' होता है।

अर्थात् "The Association of Person who
takes their meals together" is called company
व्यक्तियों का एक संगठन जो भोजन के
लिए एकत्रित होता था उसी को कम्पनी कहते थे।

सामान्य शब्दों में कम्पनी से आशय
'निगमित व्यक्तियों के समूह से है।

विधिक रूप में अर्थात् कम्पनी अधिनियम 2013
की धारा 2(20) के अनुसार कम्पनी से अभिप्राय -

"कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत संगठित
और पंजीकृत की गई कम्पनी से है।"

अर्थात् या इससे शब्दों में - "कम्पनी से आशय
व्यक्तियों के एक समूह से है जिसने कम्पनी
का निर्माण और पंजीकरण कम्पनी अधिनियम 2013
के अन्तर्गत या कम्पनी अधिनियम 1956, 1913, 1882
इत्यादि में कराया है।"

फेन्कफर्टर जे० के० शब्दों में -

कम्पनी निगमित संस्था के रूप में
कारोबार चलाने का एक तरीका है।

कम्पनी के प्रकार

निगमित कम्पनियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं।

1. राजपत्र द्वारा निगमित कम्पनी
2. संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत निगमित कम्पनी
3. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी

1. राजपत्र द्वारा निगमित कम्पनी: इसका निर्माण राजपत्र द्वारा होता था। जैसे: ईस्ट इंडिया क० अब उपयोग में नहीं।

2. संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी: इसका निर्माण संसद द्वारा विशेष अधिनियम बना कर किया जाता है। उद्हरणार्थ LIC, GIC, IDBI, SIDBI etc.

3. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार कोई कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम 2013 व कम्पनी अधिनियम, 1956, 1913, 1882 इत्यादि के अनुसार पंजीकृत हो।

3 दायित्व के आधार पर इसे दो कंपनियों में विभक्त किया गया है।

1. अपारिसीमित दायित्व वाली कम्पनी

2. परिसीमित दायित्व वाली कम्पनी

1. अपरिशीमित दायित्व वाली कम्पनियेस्स - (धारा 2(12))

इस कम्पनी में प्रत्येक सदस्य का दायित्व असीमित होता है। संगमसूत्र के अनुसार प्रत्येक सदस्य कम्पनी के समस्त ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

2. परिशीमित दायित्व वाली कम्पनी :-

इसकी दो खेती होती है -

1. गारंटी द्वारा परिशीमित कम्पनी

2. अंश पूँजी द्वारा परिशीमित कम्पनी

1. गारंटी द्वारा परिशीमित कम्पनी : (धारा 2(21))

गारंटी द्वारा परिशीमित कम्पनी में दायित्व संगमसूत्र में अभिलिखित धन तक ही सीमित होता है।

2. अंश पूँजी द्वारा परिशीमित कम्पनी (धारा 2(22))

इसमें अंशधारक कम्पनी के अदत्त अंश की रकम तक ही दायी होते हैं। कम्पनी के परिसमापन पर अदत्त रकम की भुगतान करते हैं।

इनको ~~दो~~ भागों में विभक्त किया जाता है।

1. निजी कम्पनी

2. सार्वजनिक कम्पनी

3. रकम व्यापक कम्पनी

1. निजी कम्पनी (धारा 2(68)) :

निजी कम्पनी से आशय ऐसी

निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये गए हैं

1. न्यूनतम सेक्टर शेरी न्यूनतम 1 लाख होनी चाहिए
2015 से इसको हटा दिया गया है। न्यूनतम 2 व अधिकतम 200 सदस्य
2. अंशों के अंतरण पर प्रतिबन्ध
3. शेरी इकट्ठा करने के लिए विवरण पत्र जारी करने पर प्रतिबन्ध (धारा 7)

2. सार्वजनिक कम्पनी: (धारा 2(71))

ऐसी कम्पनी जिसका स्वामित्व सामान्य जनता में अंशधारक के रूप में वितरित होता है वह इसका आदान प्रदान बाजार मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कर सकता है।

3. एक व्यक्ति कम्पनी (धारा 2(62))

एक ऐसी कम्पनी जिसमें केवल एक ही सदस्य होता है वह एक अन्य व्यक्ति को नामिनी बनाकर एक व्यक्ति कम्पनी का निर्माण कर सकता है। कम्पनी के सदस्य की मृत्योपरांत नामिनी कम्पनी का सदस्य बन जाता है।

नियन्त्रण की दृष्टि से कम्पनी को 4 भागों में विभक्त करते हैं।

1. सरकारी कम्पनी धारा 2(45)
2. समनुषंगी या निरन्तर कम्पनी धारा 2(46)
3. सहायक कम्पनी धारा 2(87)
4. सार्वजनिक कम्पनी धारा 2(6)

कम्पनी की प्रकृति

जब कम्पनी पंजीकृत होती है तब उस पर संवैधानिक व्यक्तित्व का आवरण पड़ जाता है। इसे मनुष्य के समान समस्त अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसका आवृत्ति, इसके सदस्यों से प्रत्येक एक आवीर्द्विष्ट होता है। सदस्यों की वृत्तु हो सकती है या वे बदल सकते हैं किन्तु कम्पनी तब तक चलती रहती है जब तक कि आधेनिधन के द्वारा विनिर्दिष्ट आधारों पर उसका समापन नहीं हो जाता। अन्य शब्दों में इसका तात्पर्य है कि कम्पनी का एक शाश्वत उत्तराधिकार होता है। एक कम्पनी अपने नाम से सम्पत्ति रख सकती है। बैंक में खाता रख सकती है। वटण ले सकती है, दायित्व उत्पन्न कर सकती है, और सांविदाये कर सकती है। यहाँ तक कि कोई भी सदस्य कम्पनी के साथ सांविदा कर सकता है, उसके विरुद्ध अधिकार प्राप्त कर सकता है या उसके प्राप्ति दायित्व उत्पन्न कर सकता है। कम्पनी के कर्तव्यों के लिए, कम्पनी के लेनदार ही केवल कम्पनी पर दावा कर सकते हैं उसके सदस्य नहीं।

क्योंकि कम्पनी कृत्रिम व्यक्ति होती है, अतः यह केवल किसी मानवीय एजेंसी के माध्यम से कार्य कर सकती है जैसे निदेशकों के जरिए। वे कम्पनी के क्रियाकलापों के कर्तव्य हैं और वे इसके एजेंट के रूप में कार्य करते हैं परन्तु वे कम्पनी के सदस्यों के एजेंट नहीं हैं। औपचारिक कार्यों के अधिष्ठाणन के लिए एक सार्वभुम (Common Seal) होती है। इसके निम्नलिखित बिंदुओं के सार्वभित किया जा सकता है।

1. स्वतन्त्र निर्णमित व्यक्तित्व
2. सीमित दायित्व
3. शाश्वत उत्तराधिकार
4. भिन्न सम्पत्ति
5. अन्तरणीय अंश
6. बड़े समष्टता
7. व्यावसायिक प्रवृद्ध
8. विविध सुविधायें
9. सार्वभुम

इससे यह आप समझ गए होंगे कि कम्पनी का अपना एक स्वतन्त्र विधिक व्यक्तित्व भी अस्तित्व होता है।

निगमित व्याक्तित्व के सिद्धान्त

कम्पनी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण स्वतन्त्र निगमित व्याक्तित्व का सिद्धान्त है। कम्पनी विधि की दृष्टि से एक व्यक्ति होती है। यह ऐसी विधिक व्यक्ति होती है जिसका अपने सदस्यों से स्वतन्त्र आस्तित्व होता है। जब कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी का स्मरणिकरण हो जाता है तो उसे ऐसा निगमित व्याक्तित्व मिल जाता है जो सदस्यों से भिन्न होता है। निगमन का यह प्रभाव अधिनियम की धारा 9 में मिलता है। इसमें कहा गया है कि निगमन का प्रमाणपत्र के जारी हो जाने पर संगमहापन के हस्ताक्षरकर्ता तथा अन्य ऐसे व्यक्ति जो समय-समय पर कम्पनी के सदस्य होंगे, वे एक ऐसी निगमित निकाय होंगे जो तुरन्त ही निगमित कम्पनी के कार्य करने के योग्य होगी और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और कामन मुद्रा होगी। कम्पनी का उद्योग खुद ही एक संस्था बन जाता है। कोई यह नहीं कह सकता कि वह कम्पनी का मालिक है। ऐसा कारोबार संस्था का कारोबार बन जाता है।

इस सिद्धान्त का सुप्रसिद्ध उदाहरण हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्णीत सालोमन बनाम सालोमन एवं कर्वेन्के बाद में मिलता है। या कह लीजिए इसी मामले में इसे प्रतिपादित किया गया

सालोमन ने स्वयं, अपनी पत्नी, चार पुत्रों एवं एक पुत्री सहित 7 अंशधारियों को शामिल करके सालोमन एवं कम्पनी लिमिटेड नाम से एक कम्पनी निगमित की। ~~कम्पनी~~ इस कम्पनी ने सालोमन की व्यक्तिगत वावसायिक सम्पत्तियों को 38782 पौण्ड में अधिग्रहित कर लिया और इसके बदले में एक एक पौण्ड के 20000 शेयर, 10000 पौण्ड के वरणपत्र जो कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर प्रभारित थे और शेषराशि नकद प्राप्त की। उसकी पत्नी, पुत्री व चारों पुत्रों ने एक एक पौण्ड के शेयर लिए। तत्पश्चात् सामान्य व्यापारिक मंदी के कारण

कम्पनी का समापन हो गया। लेंदार्ने (unsecured Creditors) ने यह तर्क दिया कि सालोमन को उसके पास ऋणपत्रों के लिए कम्पनी का सुरक्षित लेनदार नहीं माना जा सकता क्योंकि वह एक जनकम्पनी (One Man Company) का प्रबन्ध निदेशक था जो सालोमन से भिन्न नहीं थी और कम्पनी का लबादा (Debt) केवल धोखा या कपट था।

~~विमान~~ विमान बोर्ड मैकनाटन ने निर्णय दिया कि -

“कम्पनी का नून की दृष्टि में सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाताओं से सर्वथा भिन्न व्यक्ति है। यद्यपि यह रहे जो सालोमन से पहले करती थी और उसके प्रबन्धक तथा लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी वहीं हो जो सालोमन से पहले प्राप्त करते थे। कानून की दृष्टि में कम्पनी अपने अभिदाताओं की एजेंट या उनके लिए न्यासी नहीं है। और इसी प्रकार अभिदाता भी सदस्यों के रूप में अधिनियम में निर्धारित विधे एवं सीमा तक ही उत्तरदायी हैं उससे अधिक नहीं।”

अतएव इस वाद में यह स्पष्टतया कहा गया कि कम्पनी का अपना स्वयं अस्तित्व है। अतः फलतः किसी शेषदाता को कम्पनी की कृत्यों के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता।

'संगमज्ञापन'

किसी कम्पनी की स्थापना करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य संगमज्ञापन बनाना होता है। यह कहा गया है कि संगमज्ञापन प्रस्तावित कम्पनी के सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसे कम्पनी का चार्टर्ड कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित रखे होते हैं।

1. नाम रखण
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या स्थान रखण
3. उद्देश्य रखण
4. दायित्व रखण
5. पूँजी रखण
6. नामेकन रखण

1. नाम रखण (धारा 4) विधिक व्यक्ति होने के कारण पहचान के लिए कम्पनी को कोई न कोई नाम देना आवश्यक होता है। ~~यह~~ कम्पनी का नाम उसके व्यक्तित्व आस्तित्व का प्रतीक होता है। इसपर कुछ प्रतिबंध भी हैं (धारा 4) के त्रिष शर्कार की शाय में कम्पनी का नाम अवोदनीय न हो, किसी नाम से मिलाता जुलता न हो। अगर कम्पनी का दायित्व सीमित हो तो उस के अन्त में Limited Co. अगर प्राइवेट कम्पनी हो तो उसमें Pvt Co. के एक ~~व्यक्ति~~ व्यक्ति कम्पनी की स्थिति में OPC Co. लगाना आवश्यक है।

2. स्थान रखण या रजिस्टर्ड कार्यालय (धारा 12)

निगमन के 15 वें दिन से कम्पनी को अपना क्रियशील रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थापित करना होता है जो उस समय से लेकर लगातार बना रहेगा जो ऐसी सभी सूचनाओं व सूचनाओं को प्राप्त करने तथा उसकी अभिलेखित करने के लिए जो उसको भेजी जायगी समर्थ होगा (धारा 12(1))। कम्पनी को इस कार्यालय के बारे में रजिस्टार के सूचना देने होगी ऐसा निगमन के 30 दिनों के अन्दर किया जाएगा और कितने दिनों में सत्यापित होगा (धारा 12(2))

3. उद्देश्य-खण्ड :- संगमहापन के तीसरे खण्ड में कम्पनी के उद्देश्यों का विवरण दिया जाता है। कम्पनी का उद्देश्य अवर्तनों की स्वेच्छा पर निर्भर होते हैं। इसपर केवल इतना प्रतिबन्ध है कि उद्देश्य विधिपूर्वक व कम्पनी अधिनियम के विपरित न हो। वास्तव में पूँजी किन कार्यों में लगाई जा रही है अंशधारकों की भावना होना चाहिए इसलिए कम्पनी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इससे लेनदारों की सुरक्षा मिलती है तथा इनकी कार्यवाहियों का क्षेत्र निश्चित व सीमित करने से अंशधारकों को भी लाभ पहुँचता है।

4. दायित्व-खण्ड :- (धारा 4(1)(d))

संगमहापन के चौथे खण्ड में सदस्यों का दायित्व बताया जाता है। यदि कम्पनी का दायित्व अंशों द्वारा सीमित करना है तो इस खण्ड में यह कहा जाता है कि सदस्यों का दायित्व अंशों द्वारा सीमित होगा। यदि कम्पनी का दायित्व गारण्टी द्वारा सीमित करना है तो यह बताया जाता है कि कम्पनी के परिसमापन में प्रत्येक सदस्य कितना रुपया देने के लिए बाध्य होगा। ऐसे दायित्व किसी सदस्य के दूर जाने के पश्चात् एक वर्ष तक बना रहता है।

5. पूँजी-खण्ड (धारा 4(1)(e))

संगमहापन के आन्तिम खण्ड में जितनी पूँजी में कम्पनी स्थापित होनी चाहती है उसका धन बताया जाता है तथा यह भी बताया जाता है कि पूँजी कितने प्रकार के कितने अंशों में विभाजित होगी और प्रत्येक अंश का कितना भूतम होगा। पहले यह अनिवार्य किया गया था कि लोक कम्पनी की सेंट्रल पूँजी कम से कम 5 लाख रुपये व निजी कम्पनी की 1 लाख रुपये होगी या कोई ऐसा स्तर रकम जो विहित की जाये। अब यह अपेक्षा 2018 के संशोधन द्वारा दूर दिया गया है।

6. नामंकन-खण्ड एक व्यक्ति कम्पनी (धारा 4(1)(f)) की दशा में

एक खण्ड में केवल यह बताया जाता है कि एक व्यक्ति की अयोग्यता के कारण उसके स्थापन पर कोई व्यक्ति कम्पनी का सदस्य होगा।

7. आशिकन :- संगमहापन के अन्त में हस्ताक्षरकर्ताओं की यह घोषणा होती है कि जिन व्यक्तियों के नाम तथा पते दिये गये हैं संगमहापन के अन्तर्गत कम्पनी बनाने के इच्छुक हैं। प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता कम से कम 1 अंश लेना होता है।

संगम अनुच्छेद

इसकी कम्पनी का अर्त्तानियम भी कहा जाता है।
अर्थात् वह नियम या विनियम जिस कम्पनी के आन्तरिक प्रबंध हेतु तैयार किया जाता है।
इस अभिलेख में कम्पनी का प्रबंध चलाने के लिए जो नियम
आवश्यक समझे जाते हैं वे बताए जाते हैं। कम्पनी अधिनियम
की प्रथम अनुसूची में संगम आपन तथा संगम अनुच्छेदों
के नमूने दिए गए हैं। अनुसूची कई तालिकाओं में विभाजित
की गई है। एक तालिका में एक प्रकार की कम्पनियों के लिए
जो नियम उचित हैं वे बताए गए हैं। अंशों द्वारा सीमित दायित्व
वाली कम्पनी चाहे अपने विशेष संगम अनुच्छेद बनाये या
"सारणी च" में बताए गए संगम अनुच्छेदों को अपना लें। यदि
ऐसी ~~कम्पनी~~ कम्पनी कोई संगम अनुच्छेद नहीं बनाती है तो
सारणी च लागू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि सारणी च
को अपनाते ही इसके उपबन्ध बिना किसी संश्लेष के बंध हो जाते हैं।
संगम अनुच्छेद हफे देने चाहिए तथा अनुच्छेदों में
विभाजित होना चाहिए तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने
संगम आपन पर हस्ताक्षर किए हैं उसको संगम अनुच्छेदों
पर भी हस्ताक्षर करना होगा।

संगम अनुच्छेदों में कोई भी ऐसा नियम बनाने की
है किसे अभिदाता उचित समझे। संगम अनुच्छेदों द्वारा ऐसा
करने की शक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती जो विधि द्वारा वर्जित है।
इसमें विशेष रूप से बाध्यकारी उपबन्धों की भी व्यवस्था
की जा सकती है।

आधिकारता का सिद्धान्त (Doctrine of Ultra Vires)

आधिकारता या शक्तिबाह्य शब्द का अर्थ

है 'शक्ति या अधिकार से बाहर'। विधिक शब्द आधिकारता या शक्तिबाह्य केवल उन्हीं कार्यों पर लागू होता है जो कार्य करने वाले व्यक्ति के अधिकार या शक्ति से बाहर है। इससे यह धारणा बनती है कि शक्तियाँ प्रायः सीमित होती हैं। साधारण नागरिक के लिए जो कुछ कानून द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं किया गया है, वह सब कानून द्वारा मान्य है। ऐसा केवल तभी होता है जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून द्वारा व्यक्तित्व दिया जाय या इसके अस्तित्व को मान्यता दी जाय - जैसा कि सीमित कम्पनी के विषय में होता है - तो यह शक्ति स्पष्ट या गर्भित रूप से उस उद्देश्य के लिए सीमित होती है, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। ऐसे सृजन की स्थिति में किसी व्यक्ति पर लागू होने वाली सामान्य विधि कुछ विपर्यित है। जो कुछ भी स्पष्ट या गर्भित रूप से या इस प्रलेख के द्वारा मान्य नहीं है उसे किसी कानून द्वारा स्पष्टः निषेध नहीं किया गया है बल्कि आधिकारता या शक्तिबाह्य के सिद्धान्त द्वारा वर्जित किया गया है।

कम्पनी विधि का यह मौलिक सिद्धान्त है कि सीमानियम में उल्लिखित उद्देश्यों से बाहर कोई कम्पनी कार्य अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा तक ही कर सकता है - इतना ही और इससे अधिक नहीं (इंशूरी रेलवे कम्पनी बनाम रिशे का मामला इसका उदाहरण है)।

परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा किया गया कोई कार्य या कोई संविदा जो न केवल निदेशकों की अधिकारी सीमा से बाहर है। बल्कि कम्पनी की शक्ति से भी बाहर है। कम्पनी के प्राप्ति पूर्ण व्यर्थ है। विधि द्वारा अप्रवर्तनीय है और कम्पनी उससे बाध्य नहीं होती है। इसी कारण कम्पनी को सीमानियम द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए धनराशि का उपयोग करने से रोका जा सकता है।

इस सिद्धान्त का प्रभाव यह है कि कम्पनी द्वारा किसी शक्तिबाह्य कारोबार करने पर न कम्पनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और न कम्पनी स्वयं मुकदमा चला सकती है। चूंकि सीमानियम एक सार्वजनिक प्रलेख है अतः आमजनता को निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहता है। इसलिए जब कोई कम्पनी के साथ व्यवहार करते हैं तो मान लिया जाता है कि वह कम्पनी के शक्तियों से परिचित है।